<u>एनएचएसआरसीएल</u>

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(बी) का विवरण</u>

I. एनएचएसआरसीएल के संगठन, कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

यह विवरण वेबसाइट पर **<u>'परिचय'</u>** शीर्षक के तहत दिये गये हैं।

II. इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

कम्पनी के अधिकारी और कर्मचारी कम्पनी के परियोजना क्रियान्वयन / प्रकार्यात्मक प्रचालनों हेतु आवश्यक विविध प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करते हैं। ये शक्तियाँ और कर्तव्य मुख्य रूप से कम्पनी में उनके कार्य विवरणों, नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों और शक्तियों के प्रत्यायोजन से प्राप्त होती हैं।

III. पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्व के चैनलों सहित निर्णय निर्माण प्रक्रिया में अनुपालित प्रक्रिया

<u>निर्णय निर्माण के समय अनुपालित बोर्ड का ढाँचा और प्रक्रिया</u>

निदेशक मण्डल
⇩
प्रबन्धक निदेशक
⇩
प्रकार्यात्मक निदेशक
⇩
कार्यकारी निदेशक, महाप्रबन्धक तथा प्रकार्यात्मक प्रमुख एवं कार्यपालक

एनएचएसआरसीएल को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार तथा गुजरात सरकार द्वारा क्रमश: **50:25:25** के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी के रूप में निगमित किया गया है।

कम्पनी का प्रबन्धन इसके निदेशक मण्डल (बीओडी) द्वारा किया जाता है जिसमें प्रकार्यात्मक निदेशक और सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल होते हैं। निदेशक मण्डल कम्पनी का शीर्ष निर्णय निर्माण निकाय है जो ऐसी समस्त शक्तियों का उपयोग करने और ऐसी समस्त कार्य और चीजों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है जो कम्पनी अधिनियम के तहत हैं बशर्ते ये कम्पनी के ज्ञापन-पत्र तथा कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुरूप हों।

बोर्ड के आधारभूत न्यासीय उत्तरदायित्व में शेयरधारकों के मूल्य का संरक्षण और विस्तार शामिल है। बोर्ड सुनिश्चित करता है कि कम्पनी के मामलों के प्रबन्धन का लक्ष्य व्यापक तौर पर समाज सहित समस्त हितधारकों की आशाएं पूरी हों।

कम्पनी का दैनिक प्रबन्धन, प्रबन्ध निदेशक (एमडी) में निहित है वर्तमान में जिनका सहयोग चार प्रकार्यात्मक निदेशक अर्थात निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक रोलिंग स्टॉक

तथा निदेशक विद्युत एवं प्रणाली कर रहे हैं। ये सभी प्रकार्यात्मक निदेशक निदेशक मण्डल के प्रति उत्तरदायी हैं।

प्रबन्ध निदेशक को कम्पनी अधिनियम तथा कम्पनी के अन्तर्नियम की धारा 146 के विषयांतर्गत निदेशक मण्डल द्वारा उपभोग की जाने वाली शक्तियों से सम्पन्न किया गया है। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी के किसी भी प्रकार्यात्मक निदेशक/अधिकारी या कर्मचारी को अपनी शक्तियाँ उप-प्रद्त करने के अधिकारी हैं।

IV. अपने कार्यों को सम्पन्न करने के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड

यद्यपि कम्पनी द्वारा कोई विशिष्ट मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं किन्तु परियोजना तथा इससे सम्बद्ध मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित प्रयास किए जाते हैं।

V. कम्पनी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन करने हेतु कंपनी द्वारा धारित अथवा इसके नियन्त्रण के अधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, निर्देश, नियमावलियाँ एवं अभिलेख

अपने कार्यों को सम्पन्न करने में कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, नियमावलियाँ तथा अभिलेख निम्नलिखित हैं :

- रेलवे अधिनियम, 1989
- ज्ञापन पत्र तथा संस्था के अन्तर्नियम
- निगमन से सम्बद्ध दस्तावेज
- लेखा नीतियाँ
- लेखांकन मानक
- व्यवहार्यता प्रतिवेदन
- आलेखन एवं आरेखण विशिष्टियाँ
- आयाम अनुसूची (एसओडी)
- अनुबन्ध की शर्तें
- निविदा दस्तावेज
- तकनीकी विवरण

VI. दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जिन्हें कम्पनी धारण करती है या इसके नियन्त्रण में हैं

निम्नलिखित दस्तावेज या तो कम्पनी द्वारा धारित हैं या इसके नियन्त्रण में हैं :

- ज्ञापन पत्र तथा संस्था के अन्तर्नियम
- निगमन से सम्बद्ध दस्तावेज
- कम्पनी अधिनियम के तहत वैधानिक पंजिका
- वार्षिक प्रतिवेदन
- वार्षिक विवरणी
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में दाखिल की गई विवरणी तथा प्रपत्र
- वार्षिक वित्तीय विवरण

- लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
- लेखा पुस्तकें
- कर विवरणी तथा सम्बद्ध दस्तावेज
- निविदा दस्तावेज
- विशिष्टियाँ तथा आरेखण
- व्यवहार्यता प्रतिवेदन एवं तकनीकी विवरण
- अनुपूरक- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रतिवेद
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रतिवेदन/पुनर्वासन कार्य योजना (आरएपी) प्रतिवेदन
- स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) प्रतिवेदन।

VII. **किसी भी ऐसी व्यवस्था का विवरण जो कंपनी के नीति निर्माण या क्रियान्वयन से सम्बद्ध सार्वजनिक सदस्यों से परामर्श अथवा उनके प्रतिनिधित्व हेतु उपलब्ध हैं**

कम्पनी ने पुनर्वासन तथा स्थानान्तरगमन (आरएण्डआर) के उद्देश्य से प्रभावित गाँवों के समरेखण में कम्पनी ने हितधारकों से परामर्श संयोजित किया है। सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रतिवेदन, पुनर्वासन कार्य योजना (आरएपी) तथा स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) प्रतिवेदन वेबसाइट पर प्रकाशित किये जा चुके हैं।

VIII. **बोर्ड**, **परिषद**, **समितियाँ एवं अन्य निकाय जिसके सदस्य दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं**, **और जो कंपनी के अंग** हैं **अथवा इसके परामर्श के लिए निर्मित** हैं, **का विवरण तथा ऐसे बोर्ड**, **परिषदों**, **समितियों एवं अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या नहीं अथवा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियाँ जनता को प्रदान करनी हैं या नहीं**, **का एक विवरण।**

कम्पनी के अन्तर्नियमों के अंतर्गत निदेशक मण्डल में न्यूनतम तीन निदेशक और अधिकतम पन्द्रह निदेशक हो सकते हैं।

कम्पनी के निदेशक मण्डल में वर्तमान में नौ सदस्य हैं जिसमें पाँच प्रकार्यात्मक निदेशक यथा प्रबन्ध निदेशक, निदेशक परियोजना, निदेशक वित्त, निदेशक रोलिंग स्टॉक तथा निदेशक विद्युत एवं प्रणाली; तथा तीन अंशकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक (चेयरमैन सहित) भारत सरकार द्वारा नामित तथा एक शासकीय निदेशक गुजरात सरकार द्वारा नामित है।

वर्तमान निदेशकों की एक सूची नीचे दी गयी है।

निदेशकों की सूची

1	श्री विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं एनएचएसआरसीएल के पदेन अध्यक्ष
2	श्री अचल खरे प्रबन्ध निदेशक, एनएचएसआरसीएल
3	श्री राजेन्द्र प्रसाद निदेशक परियोजना, एनएचएसआरसीएल

4	श्री अरुण बिजलवान निदेशक वित्त, एनएचएसआरसीएल
5	श्री विजय कुमार, निदेशक रोलिंग स्टॉक, एनएचएसआरसीएल
6	श्री सन्दीप कुमार, निदेशक इलेक्ट्रिकल और सिस्टम्स, एनएचएसआरसीएल
7	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक, एनएचएसआरसीएल तथा पीईडी/ इन्फ्रा/ रेलवे बोर्ड
8	सुश्री अंजू रंजन अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक, एनएचएसआरसीएल एवं कार्यकारी निदेशक (वित व्यय-I) /रेलवे बोर्ड
9	श्री प्रभात कुमार रमनलाल पटेलिया, अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक, एनएचएसआरसीएल एवं मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय राजमार्ग) तथा अतिरिक्त सचिव, सड़क एवं भवन-निर्माण विभाग, गुजरात सरकार

<u>बोर्ड की समितियाँ- कॉरपोरेट सामाजिक (सीएसआर) उत्तरदायित्व समिति</u>

सीएसआर समिति का वर्तमान संगठन निम्नलिखित है :

1 सुश्री अंजू रंजन -- अध्यक्ष
अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक

2 श्री राजेन्द्र प्रसाद -- सदस्य
निदेशक परियोजना, एनएचएसआरसीएल

3 श्री अरुण बिजलवान -- सदस्य
निदेशक वित्त, एनएचएसआरसीएल

निदेशक मंडल और इसकी समिति की बैठकें जनता के लिए खुली नहीं हैं।

IX. इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका

वेबसाइट पर उपलब्ध है।

X. कंपनी के प्रत्येक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला मासिक पारिश्रमिक विनियमों में प्रावधानित क्षतिपूर्ति सहित

कम्पनी औद्योगिक मँहगाई भत्ता (आईडीए) के तहत आने वाले कर्मचारियों हेतु तीसरी वेतन संशोधन समिति (अनुसूची 'ए' कम्पनियों के लिए प्रयोज्य) तथा केन्द्रीय महँगाई भत्ता (सीडीए) के तहत आने वाले कर्मचारियों हेतु 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में वेतन का भुगतान कर रही है।

तदनुसार, अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जाने वाला मासिक पारिश्रमिक निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	पद	वेतनमान (आईडीए)-तीसरी पीआरसी
1	प्रबन्ध निदेशक	2,00,000-3,70,000
2	निदेशक	1,80,000-3,40,000
3	कार्यपालक निदेशक	1,50,000-3,00,000
4	महाप्रबन्धक	1,20,000-2,80,000
5	अतिरिक्त महाप्रबन्धक	1,00,000-2,60,000
6	संयुक्त महाप्रबन्धक	90,000-2,40,000
7	उपमहाप्रबन्धक	80,000-2,20,000
8	वरिष्ठ प्रबन्धक	70,000-2,00,000
9	प्रबन्धक	60,000-1,80,000
10	सहायक प्रबन्धक	50,000-1,60,000
11	वरिष्ठ कार्यपालक	40,000-1,40,000
12	कार्यपालक	30,000-1,20,000

क्र.सं.	पद	वेतनमान (सीडीए)	
		6ठवाँ केन्द्रीय वेतन आयोग	7वाँ केन्द्रीय वेतन आयोग
1	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	जीपी-10000	लेवल 14, 144200-218200
2	सेलेक्शन ग्रेड (एसजी)	जीपी-8900	लेवल 13A, 131100-216600
3	सेलेक्शन ग्रेड (एसजी)	जीपी-8700	लेवल 13, 123100-215900
4	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी)	जीपी-7600	लेवल 12, 78800-209200
5	वरिष्ठ स्केल (एसएस)	जीपी-6600	लेवल 11, 67700-208700
6	कनिष्ठ स्केल एवं समूह "बी"	जीपी-5400 & 4800	लेवल 08, 09, & 10 47600-151100, 53100-167800 तथा 56100-177500
7	वरिष्ठ पर्यवेक्षक आदि	जीपी-4600	लेवल 07, 44900-142400
8	पर्यवेक्षक	जीपी-4200	लेवल 06, 35400-112400
9	तकनीशियन आदि	जीपी-2800	लेवल 05, 29200-92300

वार्षिक वेतन वृद्धि मूल वेतन का **3%** है। उपर्युक्त के अतिरिक्त कम्पनी के नियमों के अनुसार प्रयोज्य भत्ते तथा प्रतिपूर्ति, अवकाश, सेवानिवृत्ति लाभ, भविष्य निधि आदि भी देय हैं।

XI. समस्त योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों तथा किये गये भुगतानों के प्रतिवेदनों को सूचित करते हुए इसकी प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट

एनएचएसआरसीएल की कोई अन्य एजेंसी नहीं है अत: कोई विवरण नहीं दिया गया है।

XII. आवंटित धनराशि सहित छूट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति एवं ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण

कंपनी के पास जनता के लिए कोई सब्सिडी कार्यक्रम नहीं हैं।

कम्पनी का गठन महाराष्ट्र राज्य तथा गुजरात राज्य के बीच तथा/अथवा अन्य क्षेत्रों हेतु हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी का क्रियान्वयन करने के लिए किया गया है।

महाराष्ट्र के मुम्बई तथा गुजरात के अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी जापान सरकार के सहयोग से करी जा रही है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रु. **1,08,000** करोड़ (एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये) है।

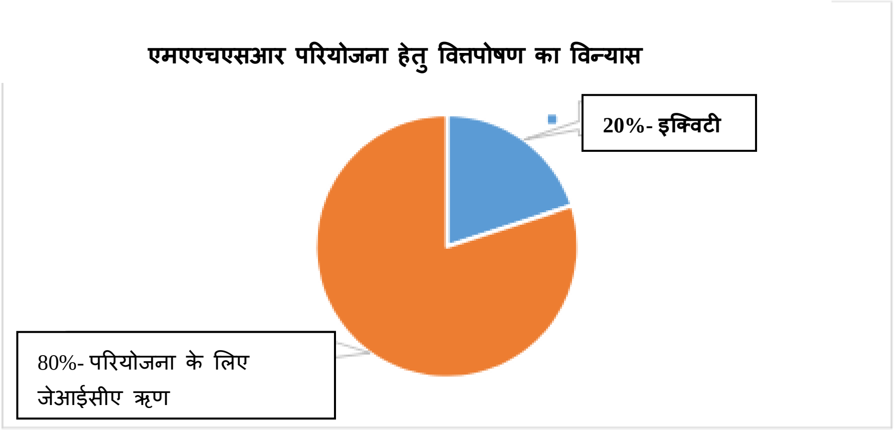

XIII. रियायतों, अनुज्ञा अथवा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

कम्पनी ने किसी प्रकार की रियायत, अनुज्ञा अथवा प्राधिकार प्रदान नहीं किए हैं।

XIV. कम्पनी को उपलब्ध सूचना या धारित सूचना के परिप्रेक्ष्य का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में विवरण

निम्नलिखित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध हैं :

- व्यवहार्यता प्रतिवेदन
- तकनीकी विवरण
- पूरक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रतिवेदन
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए)/ पुनर्वासन कार्य योजना (आरएपी) तथा स्वदेशी जन योजना (आईपीपी) प्रतिवेदन
- प्रस्तावित मार्ग मानचित्र
- आमन्त्रित एवं प्रदत्त निविदाएँ
- वार्षिक प्रतिवेदन

XV. यदि जनसामान्य के उपयोग के लिए उपलब्ध है तो पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष के कार्यकारी घण्टों सहित सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

वांछित सूचना के लिए कम्पनी की वेबसाइट www.nhsrcl.in देखी जा सकती है। यदि वांछित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो इसे सहायक प्रबन्धक/संचार श्री निशंक भानु के पास पत्र लिखकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि वांछित सूचना उपलब्ध है और प्रदान की जा सकती है तो उचित समय के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी।

भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो वह सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ)/सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) को सम्बोधित करके पत्र लिखकर निवेदन कर सकता है। जनता की सुविधा हेतु "नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ आरटीआई का आवेदन कैसे करें? " नामक लिंक सूचना के अधिकार (आरटीआई) शीर्षक के अधीन कम्पनी की वेबसाइट पर दिया गया है।

कम्पनी में सामान्य जन के लिए किसी प्रकार की पुस्तकालयी सुविधा नहीं है।

XVI. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के नाम, पद तथा अन्य विवरण

जन सूचना अधिकारी (पीआईओ)/ सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ)/ अपीलीय प्राधिकरण के सम्पर्क विवरण 'आरटीआई' शीर्षक के अधीन कम्पनी की वेबसाइट पर दिये गये हैं।